

13-9-79

पंजाब की पेश डही पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। अतिवृत्त  
बाकी कायदा की शिकायतों को  
के उपरांत भी दोष पूर्वक नहीं  
करनी है। (कम-रखना) पेश  
की शिकायतों को 0-9-79 तक  
के तहत रखने का निर्णय  
दस्तावेज संजाल है।

सहायक कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

आमेर मु. जयपुर